<table>
<tr><th>आदेश क्रमांक / तिथि</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>

18.01.10</td><td>

<u>न्यायालय उपायुक्त, खूँटी</u>

विविध अपील वाद संख्या – 58 R 15/08-09
अशोक कुमार पाढ़ी ⟶ आवेदक
बनाम
झारखण्ड सरकार

आदेश

यह वाद आवेदक अशोक कुमार पाढ़ी पे0 स्व0 केशव चन्द्र पाढ़ी ग्राम–सिलाकारी, थाना– कर्रा, जिला– खूँटी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या KA24/84 को ज्ञापांक – 93/आ0 दिनांक 14.05.08 के आधार पर रद्द किया गया है जिसके विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

अपील आवदेन को दाखिल करते हुए अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। अपीलकर्त्ता द्वारा उपस्थिति दी गई तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ।

अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इनका लाइसेंस वर्ष 1984 से है। सरकार द्वारा अपीलकर्त्ता को दो तरह का चावल वितरण करने हेतु दिया गया था। 1. जो अन्त्योदय योजना अन्तर्गत 3:00 रू0 प्रति किलोग्राम एवं 2. गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारियों को 6:15 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री करने हेतु निर्देश प्राप्त है। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कर्रा द्वारा दिनांक 24.01.08 को अपर समाहर्त्ता, खूँटी को प्रतिवेदित किया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा गंदे चावल का वितरण किया जा रहा है। ग्राम– सिलाकारी जहाँ अपीलकर्त्ता का प्रतिष्ठान है वह कर्रा से 10 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जाँच नहीं किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 65 दिनांक 07.04.08 के द्वारा तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। परन्तु अपीलकर्त्ता के बीमारी के कारण स्पष्टीकरण नहीं दे सकें और अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 93 (आ0) दिनांक 14.05.08 के द्वारा लाईसेंस रद्द कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा

</td><td></td></tr>
</table>

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	लाइसेंस रद्द किया गया है जो नियम विरूद्ध एवं गलत है। चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच के लिए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी दिनांक 24.01.08 को आए। लेकिन दिनांक 24.01.08 को सिर्फ 9 क्वींटल चावल बेचा गया था। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.08, 25.01.08, 26.01.08, 27.01.08 एवं 05.02.08 को स्टॉक की मात्रा का जाँच किया गया था। अपीलकर्त्ता द्वारा समय पर कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया यही गलती हुई। परंतु उस समय अपीलकर्त्ता के अत्याधिक तबीयत खराब होने के कारण समय पर कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया जा सका जिसे माफ किया जा सकता था। उक्त दुकान 25 वर्षों से है परंतु कोई आरोप नहीं है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 93 दिनांक 14.05.08 के द्वारा लाईसेंस रद्द किया गया है उनके आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके विपरीत सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता द्वारा गंदे चावल का वितरण किया गया है परन्तु गंदे चावल का नमूना न्यायालय में नहीं रखा गया है। अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने अपीलकर्त्ता के आवेदन पत्र एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी के निर्णय को (Upheld) कायम रखते हुए अपील को खारिज करती है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को दिखायें। लेखापित एवं संशोधित। 18.1.10 उपायुक्त, खूँटी। 18.1.10 उपायुक्त, खूँटी।	31/–245 13.04.10